Commissioner State Tax Uttarakhand

No :3676(iii) CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18

Dehradun:: Dated:: 28October, 2017

<u>Order</u>

Subject: Extension of time limit for intimation of details of stock held on the date preceding the date from which the option for composition levy is exercised in FORM GST CMP-03.

In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 3 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 read with section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (hereafter referred to as "the Act"), on the recommendations of the Council, I, the Commissioner, hereby, extends the period for intimation of details of stock held on the date preceding the date from which the option to pay tax under section 10 of the Act is exercised in **FORM GST CMP-03** till 30th November, 2017.

(Amit Singh Negi) Commissioner State Tax, Uttarakhand. आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड संख्याः अग्द्राद्धाः / सी०एस०टी०यू०के० / जी०एस०टी०–विधि / 2017–18 देहरादूनःः दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

आदेश

विषय:

प्रशमन उद्ग्रहण के लिए विकल्प प्रयोग करने की तिथि से पूर्ववर्ती तारीख को धारित स्टॉक के ब्यौरे की सूचना प्ररूप जीएसटी सीएमपी—03 में दिए जाने की समय सीमा बढ़ाए जाने विषयक।

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 3 के उपनियम (4) सपिठत उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् ''अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 168 के द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त, एतद्द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प प्रयोग किये जाने की तारीख से पूर्ववर्ती तारीख को धारित स्टॉक के ब्यौरे की सूचना प्ररूप जीएसटी सीएमपी—03 में दिए जाने की तिथि, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 तक बढ़ाता हूँ।

(अमित सिंह नेगी) आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड।